रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 120] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जून 1, 1972/ज्येष्ठ 11, 1894

No. 120] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 1972/JYAISTHA 11, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st June 1972

SUBJECT.—Trade with Bangladesh during the period from 28-3-1972 to 27-3-1973

No. 76-ITC (PN)/72.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 57-ITC (PN)/72 dated the 20th April, 1972, pertaining to trade with Bangladesh during the period from 28-3-1972 to 27-3-1973.

2. Annexure I to the said Public Notice contains the list of commodities for exports to Bangladesh against the Limited Payments Arrangement. It had been stated against Serial No. 15 of that Annexure that "Miscellaneous items to be mutually agreed" could be exported to the extent of Rs. 100 lakhs. It has now been mutually agreed between the Government of India and the

Government of Bangladesh that the following items may be exported to Bangladesh against the Limited Payments Arrangement in terms of the said Public Notice dated 20th April, 1972 :——

Items	Value (Rs./lakhs)	Eligible exporters in India	Eligible importers in Bangladesh
(1)	(2)	(3)	(4)
(i) Soap, all sorts	100	State Trading Corporation	Trading Corporation of Bangladesh
(ii) Bicycles		State Trading Corporation	Trading Corporation of Bangladesh

3. It is clarified once against that imports and exports of commodities/goods which are not specifically listed either in Annexure I or in Annexure II of Public Notice No. 57-ITC (PN)/72 dated the 20th April, 1972 or in this Public Notice, will be regulated in accordance with the provisions of paragraph 16 of the said Public Notice dated 20th April, 1972.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 जून, 1972

विषय :—28-3-1972 से 27-3-1973 की अवधि के दौरान बंगलादेश के साथ व्यापार ।

संख्या 76-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—28-3-1972 से 27-3-1973 की अवधि के दौरान बंगला देश के साथ व्यापार के सम्बन्ध में विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 57-आई० टी० सी० (पी० एन)/72, दिनांक 20 अप्रैल, 1972 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध-1 में सीमित भुगतान व्यवस्था के मद्दे बंगला देश को निर्यात के लिए पण्यवस्तुओं की सूची दी गयी है । उपर्युक्त अनुबन्ध की क्रम संख्या 15 के सामने यह बताया गया है कि "विविध मदें जिनके लिए परस्पर सहमति होनी है" उनका 100 लाख रुपये तक निर्यात किया जा सकेगा । भारत सरकार और बंगलादेश की सरकार के बीच अब इस बात पर परस्पर

सहमति हो गई है कि उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना, दिनांक 20 अप्रैल, 1972 के अनुसार सीमित भुगतान व्यवस्था के मदें बंगलादेश को निम्नलिखित मदों का निर्यात किया जाए :—

मदें	मूल्य (रु०/लाख में)	भारत में पात्र निर्यातक	बंगला देश में पात्र आयातक
1	2	3	4
(1) सभी प्रकार के साबुन	100	राज्य व्यापार निगम	बांगलादेश का व्यापार निगम ।
(2) बाइसिकल		वही	वही

3. इसे एक बार फिर स्पष्ट किया जाता है कि जो पण्यवस्तुएं/माल सार्वजनिक सूचना संख्या 57—आई० टी० सी० (पी० एन०)/72, दिनांक 20 अप्रैल, 1972 के अनुबन्ध 1 या अनुबन्ध 2 में या इस सार्वजनिक सूचना में विशेष रूप से सूचीबद्ध नहीं हैं, उनके आयात और निर्यात उक्त सार्वजनिक सूचना दिनांक 20 अप्रैल, 1972 के पैरा 16 की शर्तों के अनुसार नियमित किए जाएंगे ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972